



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 25, 2012
(BHADRA 3, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2012

No. 30—HLA of 2012/58.—The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 30—HLA of 2012

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2012. Short title and commencement.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.
2. In the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), clause (1) of section 2 shall be omitted. Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 1973.
3. In the principal Act, for clause (a) of section 69, the following clause shall be substituted, namely:— Amendment of section 69 of Haryana Act 24 of 1973.
 - “(a) a property tax payable by the owner of building or land at the rates notified by the Government, from time to time depending

upon the area in which the building or land is situated, its location, purpose for which it is used, its capacity for profitable use, quality of construction and other relevant factors;”.

Amendment of section 70 of Haryana Act 24 of 1973.

4. In the principal Act, clause (viie) of sub-section (1) of section 70 shall be omitted.

Insertion of sections 75A, 75B and 75C in Haryana Act 24 of 1973

5. In the principal Act, after section 75, under the heading “Procedure for assessing immovable property”, the following sections shall be inserted, namely:—

“75A. Self assessment of tax.—Notwithstanding anything contained in this Act, every person liable to pay the property tax shall himself calculate the tax of the building or land according to the procedure notified in this regard, of which he is the owner, at the rates notified under clause (a) of section 69.

75B. Deposit of property tax.—(1) On the basis of assessment made as per section 75A, the owner shall deposit the amount of property tax in the specified head of the municipality as per the prescribed procedure on or before the date fixed by the authority and furnish a return in the prescribed form. The variation upto ten percent on either side in the assessment made under section 75A shall be ignored. In cases where the variation is more than ten percent, the owner of land or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to the amount of tax evaded subject to a minimum of rupees one hundred.

(2) Where any property tax has not been paid by the owner within the prescribed time, the authority shall serve notice on the person chargeable with the property tax, which has not been paid, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice and the authority shall pass an appropriate order in this regard after giving an opportunity of hearing.

Explanation.—For the purposes of this section, the authority means the Executive Officer in case of municipal council and Secretary in case of municipal committee or any other officer authorized by the Deputy Commissioner.

75C. Penalties.—In case of non-payment of property tax, the competent authority may impose a penalty equal to the amount of the tax assessed, subject to a minimum of rupees one hundred and in case of late payment, interest at the rate of one and a half per centum per month from the date of default shall also be charged.”.

Substitution of section 76 of Haryana Act 24 of 1973.

6. For section 76 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“76. Property list.—Save as otherwise provided in this Act, each committee shall cause a property list of all lands and buildings in the

municipal area to be prepared in such form and manner and containing, such particulars with respect to each land and building, as may be prescribed.”.

7. In the principal Act, sections 77, 78 and 79 shall be omitted. Omission of sections 77, 78 and 79 of Haryana Act 24 of 1973.
8. In the Principal Act, for section 80, the following section shall be substituted, namely:—
“80.- Amendment of property list.—(1) The authority may, at any time, amend the property list by inserting the name of any person whose name ought to have been or ought to be inserted, or by inserting any property which ought to have been or ought to be inserted, or by altering the details of any property which has been erroneously valued or assessed through fraud, accident or mistake, whether on the part of the authority or of the assessee, or in the case of a tax payable by the owner or the occupier by a change in the tenancy, after giving notice to any person affected by the amendment, of a time, not less than one month from the date of service, at which the amendment is to be made.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, the authority means the Executive Officer in case of municipal council and Secretary in case of municipal committee or any other officer authorized by the Deputy Commissioner.
(2) Any person interested in any such amendment, may tender his objection to the committee before the time fixed in the notice in writing or orally at that time and shall be allowed an opportunity of being heard in support of the same in person or by authorized agent, as he may think fit.”. Substitution of section 80 of Haryana Act 24 of 1973.
9. In the principal Act, for section 81, the following section shall be substituted, namely:—
“81. New property list.—It shall be at the discretion of the committee to prepare for the whole or any part of the municipality a new property list every year.”. Substitution of section 81 of Haryana Act 24 of 1973.
10. For section 81B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
“81B. Apportionment of liability of taxes on building or land when premises assessed are let or sub-let.- If any building or land assessed to tax specified in clause (a) of section 69 is let or sub-let and amount of rent payable in respect thereof is less than the property tax, then the tenant shall be liable to pay the difference between the amount of the said property tax and the rent paid by him.”. Substitution of section 81B of Haryana Act 24 of 1973.
11. In the principal Act, section 85 shall be omitted. Omission of section 85 of Haryana Act 24 of 1973.

Amendment of
section 93 of
Haryana Act 24
of 1973.

12. In the principal Act, in proviso to section 93, for the words "one per centum", the words "one and a half per centum" shall be substituted.

Validation.

13. Notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary and notwithstanding that procedure laid down under section 72 of the principal Act has not been followed, the directions issued *vide* Haryana Government, Urban Development Department (Committees), Notification No.9/32/2001-SCI, dated the 13th December, 2001 as amended from time to time and Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.47/H.A.24/1973/S.84/2012, dated the 21st June, 2012 with regard to imposition of property tax, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with subsection (1) of section 84 of the principal Act, shall be deemed to have been validly issued after following procedure in accordance with the provisions of the principal Act and accordingly,---

- (i) all acts, proceedings or things done or actions taken or which may have been done or taken by the committee and by the Government under the above mentioned notifications with regard to imposition and collection of property tax, be deemed to be, and to have always been done and taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of law on this ground;
- (ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority in relation to imposition of property tax, so imposed under the above mentioned notifications; and
- (iii) no court or authority shall enforce a decree or order directing the cancellation of imposition of property tax due to not following the procedure as laid down under section 72 of the Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Haryana Government had committed itself to make the Urban Local Bodies self-sustaining by strengthening their resource base. The property tax system in the State which was in force since a long time was cumbersome and had become outdated. The system of calculation had many loopholes thereby leaving chances of pilferage and mismanagement. The collector rates have increased manifold in the last few years. It was necessary to provide relief to the tax-payers as the annual value of property was based on collector rate.

Keeping this in view this, the Government has formulated a new system of property tax calculation and collection and has notified the same which provides a huge relief to the common man, small traders and other segments of society.

Therefore, it has become imperative to make certain amendments in the Haryana Municipal Act, 1973 so that the Act and the property tax system are in tune with each other.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 25th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 30- एच० एल० ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,

को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2010 से लागू हुआ समझा जायेगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 के खण्ड (1) का लोप कर दिया जायेगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 69 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम में, धारा 69 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(क) ऐसे क्षेत्र जिसमें निर्माण या भूमि स्थित है, इसकी अवस्थिति, प्रयोजन जिसके लिए यह उपयोग की जाती है, लाभदायी उपयोग, संरचना की गुणवत्ता और अन्य सुसंगत कारणों के लिए उसकी हैसियत पर निर्भर रहते हुए सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित दरों पर निर्माण या भूमि के स्वामी द्वारा भुगतानयोग्य सम्पत्ति कर ;”।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 70 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम में, धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (viii.) का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 75क, 75ख तथा 75ग को रखा जाना।

5. मूल अधिनियम में, धारा 75 के बाद, “अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारण की प्रक्रिया” शीर्ष के नीचे, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“75क. स्वयं कर निर्धारण.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति इस सम्बन्ध में अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण या भूमि जिसका वह स्वामी है,

धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित दरों पर स्वयं कर की संगणना करेगा।

75ख. सम्पत्ति कर निक्षेप — (1) धारा 75क के अनुसार किए गए निर्धारण के आधार पर, स्वामी प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि को या से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के विनिर्दिष्ट शीर्ष में सम्पत्ति कर की राशि का निक्षेप करेगा और विहित प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा। धारा 75क के अधीन किए गए निर्धारण में दोनों पक्षों पर दस प्रतिशत तक की भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। उन मामलों में जहां भिन्नता दस प्रतिशत से अधिक है, भूमि या निर्माण, जैसी भी स्थिति हो, का स्वामी न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यक्षीन कर अपवंचित राशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां स्वामी द्वारा कोई सम्पत्ति कर विहित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, तो प्राधिकारी सम्पत्ति कर से प्रभार्य जो भुगतान नहीं किया गया है, व्यक्ति को कारण बताने के लिए उससे अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि क्यों न उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करना चाहिए और प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद इस सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित करेगा।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी से अभिप्राय है, नगर परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी और नगरपालिका समिति की दशा में सचिव या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

75ग. शास्ति.— सम्पत्ति कर न दिए जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यक्षीन निर्धारित कर की राशि के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकता है और देरी से किए गए भुगतान की दशा में चूक की तिथि से प्रतिमास डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।”।

6. मूल अधिनियम में, धारा 76 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 76 का प्रतिस्थापन।

“76. सम्पत्ति सूची.— इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक समिति नगरपालिका क्षेत्र में सभी भूमियों और निर्माणों की ऐसे प्ररूप तथा रीति में तथा प्रत्येक भूमि और निर्माण के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, जो विहित किए जाएं, रखने वाली सम्पत्ति सूची तैयार करवाएगी।”।

7. मूल अधिनियम में, धारा 77, 78 और 79 का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 77, 78 और 79 का लोप।

1973 के हरियाणा
अधिनियम 24 की
धारा 80 का
प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम में, धारा 80 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“80. सम्पत्ति सूची का संशोधन.— (1) प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम सम्मिलित किया जाना चाहिए था या किया जाना चाहिए, या कोई सम्पत्ति जो सम्मिलित की जानी चाहिए थी या की जानी चाहिए, सम्मिलित करके, या किसी सम्पत्ति के जिसका मूल्यांकन या निर्धारण चाहे प्राधिकारी के या निर्धारिती के भाग पर कपट, संयोग या भूल से, गलत हो गया है, विवरणों में परिवर्तन करके या स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा भुगतानयोग्य कर की दशा में, संशोधन द्वारा प्रभावित किसी व्यक्ति को नोटिस की तामील की तिथि से कम से कम एक मास के समय का, जिस पर संशोधन किया जाना है, नोटिस देने के पश्चात् अभिधृति में परिवर्तन करके सूची का संशोधन कर सकता है।

व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी से अभिप्राय है, नगर परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी और नगरपालिका समिति की दशा में सचिव या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

(2) किसी ऐसे संशोधन में हितबद्ध कोई व्यक्ति, अपना आक्षेप उस समय लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में नोटिस में नियत समय से पूर्व समिति के समक्ष कर सकता है और उसके समर्थन में स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, जैसा वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर अनुज्ञात किया जाएगा।”।

1973 के हरियाणा
अधिनियम 24 की
धारा 81 का
प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम में, धारा 81 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“81. नई सम्पत्ति सूची.— नगरपालिका की सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए प्रति वर्ष नई सम्पत्ति सूची तैयार करना समिति के विवेकाधीन होगा।”।

1973 के हरियाणा
अधिनियम 24 की
धारा 81ख का
प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम में, धारा 81ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“81ख. निर्माण या भूमि पर करों के दायित्व का प्रभाजन जब निर्धारित परिसर किराये पर या आगे किराये पर दिए जाते हैं.— यदि धारा 69 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर के लिए निर्धारित कोई निर्माण या भूमि किराये या आगे किराये पर दी जाती है और उसके सम्बन्ध में भुगतानयोग्य किराये की राशि सम्पत्ति कर से कम है, तब किरायेदार उक्त सम्पत्ति कर की राशि तथा उस द्वारा भुगतान किए गए किराये की राशि के बीच के अन्तर के भुगतान के लिए दायी होगा।”।

11. मूल अधिनियम में, धारा 85 का लोप कर दिया जाएगा। 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 85 का लोप।
12. मूल अधिनियम में, धारा 93 के परन्तुक में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "डेढ़ प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे। 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 93 का संशोधन।
13. किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और मूल अधिनियम की धारा 72 के अधीन अधिकथित उस प्रक्रिया के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पत्ति कर के अधिरोपण के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार, नगर विकास विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या 9/32/2001-5CI, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0आ0 47/ह0अ0 24/1973/घा0 84/2012, दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया है, तो मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद विधिमान्यतः जारी की गई समझी जाएंगी और तदनुसार,— विधि-मान्यकरण।
- (i) सम्पत्ति कर के अधिरोपण और संग्रहण के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं के अधीन समिति द्वारा और सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य, की गई कार्यवाहियां या की गई बातें या की गई कार्रवाइयां या जो किए जा सकते हैं या की जा सकती हैं, विधि के अनुसार किए गए और की गई तथा सदैव किए गए या की गई समझी जाएंगी और किसी विधि न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे/की जाएंगी ;
- (ii) उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं के अधीन इस प्रकार अधिरोपित सम्पत्ति कर के अधिरोपण के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी; तथा
- (iii) कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण ना करने के कारण सम्पत्ति कर के अधिरोपण के रद्दकरण के लिए किसी डिक्री या आदेश को लागू करने के लिए निर्देश नहीं करेगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने व उनके आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में सम्पत्ति कर की प्रणाली जो बहुत लम्बे समय से लागू थी, पुरानी तथा कठिन हो गई थी। इसकी गणना की प्रणाली में काफी खामियां थीं तथा कुप्रबंधन व गड़बड़ होने की आशंका रहती थी। पिछले कुछ वर्षों में कलैक्टर दरों में भी काफी वृद्धि हो गई थी, इसलिए यह आवश्यक था कि करदाताओं को राहत दी जाये क्योंकि सम्पत्ति की वार्षिक कीमत कलैक्टर रेट पर आधारित थी।

इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा सम्पत्ति कर की गणना व संग्रहण हेतु एक नई प्रणाली तैयार की गई जोकि सुगम है तथा आम आदमी, छोटे व्यापारी व समाज के अन्य वर्गों को काफी राहत देता है।

उपरोक्त प्रणाली को लागू करने में कानूनी बाधा उत्पन्न न हो इसलिए यह आवश्यक है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाएं ताकि अधिनियम तथा सम्पत्ति कर प्रणाली एक-दूसरे से सामंजस्य रख सकें।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
25 अगस्त, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।